XXXIX(a)BR(H)-11

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक आर.1736–एक / 13 जिला–जबलपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 29–7–15<br>कैम्प जबलपुर | आवेदक की ओर से कोई उप. नहीं । जबकि पिछली पेशी पर आवेदक अभि. उप. थे किन्तु आज अनुपस्थित हैं । उन्हें तीन बार पुकार लगाई गई, उसके बाद भी उनकी ओर से कोई उप. नहीं हुआ ।<br>अतः आवेदक अभि. की अनुपास्थिति में यह प्रकरण अदम पैरवी में खरिज किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो ।<br>सदस्य | |

CANCELLED

समक्ष: न्यायालय श्रीमान् राजस्व बोर्ड, ग्वालियर, म0प्र0

राजस्व अपील क्र0- /2013 R-1736-I/13

अपीलार्थी :-(1) संदीप सनी पुत्र स्व0 डा0 बाबू सोनकर,

(2) रेशम, मोन्टी पुत्री स्व0 डाक्टर बाबू सोनकर,

(3) श्रीमती सरोज देवी पत्नी स्व0 डा0 बाबू सोनकर

सभी निवासी- ग्राम सगड़ा तहसील एवं जिला- जबलपुर (म0प्र0), हाल निवासी- मोती महल, भरतीपुर, जबलपुर (म0प्र0)

अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
16 APR 2013
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

विरुद्ध

प्रतिअपीलार्थी:- (1) श्रीमती कल्पना शुक्ला, पत्नी श्री अरुण शुक्ला, निवासी- 541 कमला नेहरू नगर, जबलपुर (म0प्र0)

(2) मध्यप्रदेश शासन,

232

राजस्व अपील अंतर्गत धारा- 44(1)(छ) म0प्र0 भू-राजस्व संहिता

अपीलार्थीगण, विद्वान न्यायालय श्रीमान् अति0 कमिश्नर जबलपुर, संभाग जबलपुर, द्वारा प्रकरण क्र0- 65/अ-74/2009-10 श्रीमती कल्पना शुक्ला विरुद्ध म0प्र0शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक- 17/01/2013 से असंतुष्ट होकर यह अपील निम्नलिखित तथ्यों एवं आधार पर प्रस्तुत करते हैं :-

आधार

(1) यह कि, विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/ अपीलार्थी की उपरोक्त अपील स्वीकार करने में विधि एवं तथ्यों की गंभीर भूल की है।

(2) यह कि, विद्वान अति0 कमिश्नर महोदय जबलपुर द्वारा